न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः—जीसीएमएस नं. 2021/325

1. झूँथाराम पुत्र मांगूराम, उम्र80 वर्ष, जाति अहीर, निवासी ग्राम नांगलकलां तहसील चौमू जिला जयपुर।

——अपीलान्ट

**बनाम**

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार चौंमू जिला जयपुर।
2. उप तहसीलदार, उप तहसील गोविन्दगढ़ जिला जयपुर।
3. गणपत लाल पुत्र शंकरलाल यादव, जाति अहीर, निवासी ग्राम नांगलकलां, तहसील चौंमू जिला जयपुर।

——रेस्पोडेन्ट्स

**उपस्थितिः—**

1. **श्री श्याम सुन्दर खण्डेलवाल, एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**
2. **श्री हनुमान सहाय सिहाग एडवोकेट, रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से**

## निर्णय

**दिनांकः 17.10.2023**

अपीलार्थी द्वारा यह द्वितीय अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.10.2021 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि वाके ग्राम नांगलकलां तहसील चौंमू जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 861 अपीलान्ट व उसके भाईयों के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा विवादित भूमि खसरा नम्बर 861/1385 व अपीलान्ट की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 861 के मध्य एक रास्ता स्थित है जो दुसादों की ढाणी में जाता है जो सैकडों वर्षो से कायम है जिसके खसरा नम्बर 861/1385 के पूर्व खातेदार मंजूदेवी पत्नी अशोक कुमार सींव जोड़ पड़ौसी है, खसरा नम्बर 861/1385 जो अपीलान्ट की भूमि से ही बना है, जो खसरा नम्बर 861 का पार्ट व पार्सल है तथा सैकडो वर्षों से अपीलान्ट व उसके भाई उक्त भूमि पर काबिज होकर उपयोग—उपभोग करते चले आ रहे है लेकिन रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा एक फर्जी व बनावटी पत्थरगढ़ी का आदेश दिनांक 06.04.2021 द्वारा खसरा नम्बर 861/1385 के अपीलान्ट को कब्जे से बेदखल करने के उद्देश्य से एक फर्जी बनावटी पत्थरगढ़ी का आदेश निकलाकर मौके पर बिना गये ही खसरा नम्बर 942 को पुख्ता मानकर जो कि गै.मु. कुआं एवं वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 के नीचे 6 लाईन अवाप्ति में दब गया है, को मानकर फर्जी व बनावटी सीमाज्ञान कर उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी की फर्द बनवा दी गई तथा खसरा नम्बर 861/1385 को नापकर पत्थरगढ़ी का आदेश की पालना में मौके पर न जाकर ऑफिस में ही बैठकर दी गई तथा उक्त खसरा नम्बर जो मौके पर मौजूद ही नही है तथा अपीलान्ट के कब्जे में है तथा उक्त भूमि को एक

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

फर्जी व बनावटी विक्रय पत्र दिनांक 25.05.2021 को मंजूदेवी द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के हक में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से मिलीभगत करते तस्दीक करवा लिया गया तथा उक्त फर्जी व बनावटी विक्रय पत्र के आधार जल्दबाजी में एक नामान्तरकरण ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार को छीनकर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर नामान्तरकरण संख्या 1047 दिनांक 03.06.2021 को रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के हक में तस्दीक कर दिया गया जिस नामान्तरकरण के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा एक प्रथम अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर के समक्ष पेश की जिसे न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजातों व रिकार्ड के विपरित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.10.2021 पारित कर अपील खारिज कर दी गई है, जो निर्णय विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि उक्त नामान्तरकरण संख्या 1047 कोरोना काल जैसी महामारी में जब सभी सरकारी कार्यालय बंद थे एवं उक्त महामारी की आपदा से जनता को बचाने के लिये लॉ एण्ड ऑर्डर मेनटेन करने के अलावा कोई अन्य कार्य नही कर रहे थे जिसका राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा भी जारी परिपत्र में स्पष्ट हवाला था कि उपरोक्त कार्यवाही के अलावा अन्य कोई कार्यवाही जो अतिआवश्यक नही हो, नही की जा सकती तथा बिना कब्जे के फर्जी व बनावटी विक्रय पत्र के आधार पर जो भूमि पूर्व से ही विवादित थी उसी दौरान मात्र 6 कार्य दिवस में उक्त नामान्तरकरण मशीनरी गति से भरा गया जो कि अपने आप में एक संदेह पैदा करता है। इसलिये उक्त नामान्तरकरण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष निरस्तनीय था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो विधि विधान के विपरित होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि खसरा नम्बर 861/1385 एवं खसरा नम्बर 860 की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही हेतु पूर्व खातेदार मंजू देवी ने सींव जोड़ अपीलार्थी को पक्षकार नही बनाकर न्यायालय को गुमराह कर एक आदेश दिनांक 15.06.2016 को जारी करवाया, उक्त आदेश की पालना हेतु राजस्व कर्मचारियों ने दिनांक 14.12.2016 को एक रिपोर्ट पत्थरगढ़ी तैयार की जबकि उस समय मौके पर अपीलान्ट की सरसों, गेहूँ की फसल खड़ी थी उसके उपरान्त भी अपीलान्ट ने अपने उक्त जमीन पर बाजरा, ग्वार, मूंग की फसल बो दी, उस समय मंजू देवी ने एक झूँठा मुकदमा दर्ज करवाया जो न्यायालय अपर सिविल न्यायिक मजिस्ट्रेट चौंमू के यहाँ लम्बित है जिसमें स्वयं खातेदार ने कहा कि अपीलान्ट की फसल मौके पर खड़ी है। इसलिये भी रेस्पोडेन्ट का कब्जा साबित नही होता है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि दिनांक 12.04.2021 को तैयार की गई फर्द में तय पुख्ता निशान खसरा नम्बर 942 लिखा है जो कि सन् 2009 में फोर/सिक्स लेन के नीचे डामर सड़क में दब गया था एवं

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

वहॉ मौके पर उसके अवशेष मौजूद नही होने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 25.03.2013 को दे दी गई थी एवं उक्त फर्द में विवादित खसरा नम्बर भी अंकित नही है इसलिये उक्त पत्थगढ़ी की कार्यवाही हुई ही नही इसलिये भी उक्त नामान्तरकरण व अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध है। इसलिये भी उक्त नामान्तरकरण व अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि उक्त नामान्तरकरण पर अंकित रिपोर्ट सरपंच ग्राम पंचायत नांगल द्वारा अपने परिजन को लॉभ पहुॅचाने के उद्देश्य से बिना कोरम की मिटिंग किये (यदि कोरम की मिटिंग होती तो उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध आपत्ति दर्ज होती और उक्त नामान्तरकरण नही खोला जा सकता था) स्वयं ने व्यक्तिगत हैसियत से ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार छीनकर अपीलान्ट को बिना सुने नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित एक रिपोर्ट अंकित कर तुरन्त ही तहसीलदार से मिलीभगत कर भेज दी जिस कारण भी अपीलाधीन आदेश व नामान्तरकरण विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि ग्राम पंचायत नांगलकलां सरपंच द्वारा अपने पुत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के हक में नामान्तरकरण खोलने हेतु नामान्तरकरण जिल्द पर व्यक्तिगत हैसियत से अपने पद का दुरूपयोग कर बिना किसी ग्राम पंचायत मिटिंग के स्वयं ने कोरोना काल में नामान्तरकरण पर टिप्पणी कर दी जो अपने पुत्र को फायदा पहॅूचाने के लिऐ तथा जल्दी नामान्तरकरण खुलवाने के लिऐ की गई है, जो अवैध व विधि विरूद्ध है। जिस तथ्य पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई गौर नही कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में प्रार्थना पत्र धारा 96 सी. पी.सी. पेश नही करने के आधार पर अपील निरस्त करने बाबत लिखा है जो विधि विरूद्ध है क्योंकि उक्त खसरा नम्बर बाबत अपीलार्थी का हित व कब्जा नामान्तरकरण की कार्यवाही से पूर्व ही रहा था। नामान्तरकरण अपीलार्थी को बिना सुने ही विधि विरूद्ध तरीके से प्रस्तुत किया गया। इसलिये अपीलार्थी के उक्त भूमि में हित निहित होने, कब्जा होने से प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी. सी. की कोई आवश्यकता नही है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो खारिज योग्य है। अतः अपीलान्ट की द्वितीय अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.10.2021 को निरस्त करते हुये रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा तस्दीक किये गये नामान्तरकरण संख्या 1047 दिनांक 03.06.2021 को निरस्त करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के कथन किया है कि भूमि विवादग्रस्त के खातेदार द्वारा अपना हिस्सा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय करने पर विधिवत तरीके से नामान्तरकरण संख्या 1047 दिनांक 03.06.2021 भरा जाकर उसे गिरदावर द्वारा तस्दीक किया जाकर तहसीलदार द्वारा उसे स्वीकृत किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि नही की गई है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलान्ट का भूमि विवादग्रस्त से किसी भी प्रकार का सम्बन्ध या सरोकार नही है क्योंकि अपीलान्ट उक्त

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

भूमि में सह खातेदार या परिवार का सदस्य भी नही है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि विवादग्रस्त के विक्रय एवं नामान्तरकरण इत्यादि कार्यवाही पर किसी भी प्रकार के उज्राज करने का अधिकार अपीलान्ट को कानूनन प्रदत्त नही है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने कथन किया है कि अपीलान्ट ने अपनी अपील में उक्त नामान्तरकरण संख्या 1047 को चुनौती देने का मुख्य आधार जो लिया है वह आराजी खसरा नम्बर 861/1385 का पत्थरगढी का आदेश पारित करना लिया है जिसके आधार पर अपीलान्ट को बेदखल कर देना अंदेशा प्रकट किया है जबकि अपीलान्ट द्वारा उक्त पत्थरगढी आदेश के विरूद्ध एक अपील न्यायालय श्रीमान् के समक्ष पूर्व में दायर कर रखी है जो वर्तमान में राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष विचाराधीन है। जिसका नामान्तरकरण की कार्यवाही से कोई सम्बन्ध नही है फिर भी अपीलान्ट द्वारा उक्त तथ्यों को छिपाते हुए अधीनस्थ न्यायालय समक्ष बिना किसी आधार के अपील प्रस्तुत की गई जो खारिज योग्य ही थी। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया जिससे जाहिर होता है कि अपीलार्थी स्वयं ने अपनी अपील में भूमि विवादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 861/1385 के खातेदार मंजूदेवी द्वारा अपने हिस्से का बैचान जरिये पंजीकृत विक्रय रेस्पोडेन्ट संख्या 3 को किया जाना अंकित किया है तथा अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या न्यायालय हाजा के समक्ष एक कोई भी साक्ष्य, सबूत या दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत नही किया गया है जिससे उक्त विक्रय पत्र को किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा अवैध या प्रभावशून्य घोषित किया जाना प्रतीत होता हो। जिससे स्पष्ट जो जाता है कि उक्त विक्रय पत्र वर्तमान में भी प्रभावी एवं प्रचलन में है तो भूमि विवादग्रस्त के खातेदार द्वारा अपनी भूमि का बेचान रेस्पोडेन्ट संख्या 3 को किया गया है और जिस विक्रय पत्र के आधार पर स्वीकृत किये गये नामान्तरकरण संख्या 1047 के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज योग्य है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.10.2021 विधि सम्मत प्रतीत होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.10.2021 को यथावत रखा जाता है।

(डॉ0आरूषी मलिक)
सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 17.10.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सांभागीय आयुक्त
जयपुर